ई–मेल

निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

पत्रांक–C2155स0क0 / शिक्षा–अ / 7 / 27 / 2020–21

लखनऊ : दिनांक 06 नवम्बर, 2020

कुलसचिव कार्यालय दिनांक 07.11.20 पंजिका पृष्ठ सं० 139 पत्रांक सं० 2127

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11–12) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अन्य उच्च कक्षाओं हेतु) के आनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन किये जाने के संबंध में।

कृपया शासन द्वारा जारी समय–सारिणी दिनांक 26–10–2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने की समय–सीमा को दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया है। कई विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत (Promote) कर दिया गया है लेकिन उन्हें अंक नहीं दिये गये हैं, जबकि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वरीयता निर्धारण हेतु गत वर्ष के अंकों की आवश्यकता होती है। गत वर्ष / सेमेस्टर के अंक के अलावा अथवा गत वर्ष / सेमेस्टर से पूर्व वर्ष के अंकों के आधार पर वरीयता निर्धारण पर निर्णय लेने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिसपर निर्णय के उपरांत वरीयता निर्धारण हेतु आपको अलग से सूचित किया जायेगा। वर्तमान में आनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नवत 03 आप्शन दिये गये हैं :–

1- Pass
2- Promoted
3- Result not yet declared

उक्त के कम में यह अवगत कराना है कि छात्रों को आनलाइन आवेदन करने हेतु द्वितीय आप्शन Promoted को निम्नवत संशोधित करते हुए छात्रों को आवेदन करने हेतु आप्शन में व्यवस्था कर दी गयी है :–

1- Promoted with marks
2- Promoted without marks

Promoted with marks वाले आप्शन के लिए छात्र को अंक भरना अनिवार्य होगा तथा Promoted without marks वाले आप्शन के लिए छात्र अंक बिना भरे आवेदन कर सकेगा। कमांक–1 व 3 के आप्शन यथावत रहेंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार आनलाइन आवेदन पत्र में छात्रों की सुविधा हेतु दिये गये आप्शन के सम्बन्ध में सभी संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करते हुए जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराने का कष्ट करें।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3
2– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण / जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी / वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) योजना भवन, लखनऊ।
5– कुल सचिव समस्त केन्द्रीय, राज्य एवं निजी विश्वविद्यालय, स्वायत्त संस्थान तथा सचिव / निदेशक, समस्त एफिलियेटिंग एजेंसी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक

कार्यालय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः 485 / डी0एस0डब्लू / 2020–21 दिनांकः 11.11.2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) समस्त प्राचार्य / प्राचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना से अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र / छात्रा को अवगत कराएं।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष / निदेशक परिसर पाठ्यक्रम को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना से अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्र / छात्रा को अवगत कराएं।
(3) विशेष कार्याधिकारी कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
(4) वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
(5) वेब प्रभारी, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने करने का कष्ट करें।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण